



REGIONAL OFFICE

Rajasthan State Pollution Control Board
Shyama Prasad Mukharjee Nagar, Bharatpur 321001 (Raj.)
E-mail: rorpcb.bharatpur@gmail.com
Website: www.enviroment.rajasthan.gov.in

No. RPCB/RO(Bharatpur)/Gen/ 906

Dated: 03.01.2020

The Registrar
Hon'ble NGT
New Delhi

Sub:- Inspection report of the Joint Committee in the matter of O.A.
84/2020(CZ) Mandir Shri Lal Ji Maharaj v/s State of Rajasthan & others.
Ref:- Hon'ble NGT order dated 24.09.2020

Sir,

With reference to above subject, kindly find enclosed Inspection report of the Joint Committee for necessary action please.

Encl:- As above

Yours Sincerely


Regional Officer
RPCB Bharatpur

संयुक्त जांच प्रतिवेदन

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, द्वारा ओ.ए. नं. 84/2020, मंदिर श्री लाल जी महाराज बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 24.09.2020 की पालना में जिला कलक्टर, भरतपुर ने पत्र दिनांक एफ34(9)/सा/2020/5117 दिनांक 9.09.2020 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, डीग, परियोजना निदेशक, वृज चौरासी परियोजना, मु0 पूंछरी (डीग) एवं क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर की संयुक्त समिति का गठन किया गया।

उक्त आदेशों की अनुपालना में उक्त समिति द्वारा दिनांक 20.10.2020 को श्री हेमन्त कुमार, उपखण्ड अधिकारी, डीग, श्री ओमवीर सिंह चाहर, परियोजना निदेशक, वृज चौरासी परियोजना, मु0 पूंछरी (डीग) एवं श्री ओ.पी. गुप्ता, क्षेत्रीय अधिकारी स्टेट पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड मुख्यालय-भरतपुर द्वारा श्री नरसिंह जी महाराज, पूंछरी (डीग) मन्दिर का संयुक्त निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर श्री लालजी महाराज, वादी द्वारा श्री नरसिंह जी महाराज मन्दिर के आगे बरामदा जो कि 25 फुट X 7 फुट का था, की दीवार एवं पटाव को हटा दिया गया है। बरामदे को 25 फुट X 16 फुट साईज में चौड़ा करने हेतु आगे की एवं साईड की नई दीवार का निर्माण आंशिक रूप से किया गया है बरामदे का नया पटाव नहीं किया गया है।


मौके पर मौजूद श्री पवन शर्मा, सेवक द्वारा बताया गया कि 25 फुट X 7 फुट के पुराने बरामदे के पटाव की पट्टियों में दरार आने से उनके गिरने की सम्भावना बनी हुई थी इसलिए बरामदे का पटाव हटाया गया। उनके द्वारा बताया गया कि बरामदे का आकार छोटा होने के कारण इसे 25 फुट X 16 फुट किया जाना प्रस्तावित था। श्री पवन शर्मा द्वारा बताया गया कि श्री नरसिंह महाराज मन्दिर के कमरे की छत बरसात के समय टपकती थी, जिसे ठीक प्रकार से ढलान देकर दुरुस्त किया गया है। इसके अलावा मन्दिर के चारों ओर की बाहरी दीवार में दरार आने के कारण इसकी मरम्मत एवं प्लास्टर कार्य करवाया जाना शेष है।

समिति के सदस्यों द्वारा निरीक्षण के दौरान नरसिंह महाराज के मन्दिर की छत पर सीलन देखी गई एवं पाया कि वादी द्वारा छत के ढलान को सही कर मरम्मत करवाई गई है। इससे अतिरिक्त मन्दिर की बाहरी दीवारों पर कुछ स्थानों पर दरारों की मरम्मत एवं प्लास्टर की आवश्यकता है। उक्त तथ्यों को देखते हुये समिति का मत है कि :-

1. श्री नरसिंह महाराज मन्दिर के कमरे की छत पर बरसात का पानी रिसने के कारण कमरे की छत की मरम्मत अपेक्षित है।
2. मन्दिर की बाहरी दीवारों में मौजूद दरारों की मरम्मत केवल मूल स्वरूप के रंग के प्लास्टर द्वारा ही अपेक्षित है।
3. मन्दिर के बरामदे का पुराना निर्माण 25 फुट X 7 फुट का था, जो कि बढ़ाकर 25 फुट X 16 फुट करना माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 20.06.2018 की अवहेलना है। अतः नव निर्मित दीवारों का ध्वस्त करवाकर पुराना साईज के बरामदे का निर्माण 25 फुट X 7 फुट में किया जाना अपेक्षित है।
4. मंदिर की मरम्मत व जोड़ हेतु ईंट व सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है जिससे पूर्व निर्माण व पुरातात्विक महत्व कम होता है अतः गारे व मूल सामग्री का उपयोग किया जाना हित में है।

तथ्यात्मक रिपोर्ट अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।


(ओ.पी. गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म. भरतपुर


(ओमवीर सिंह चाहर)
परियोजना निदेशक
वृज चौरासी परियोजना


(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
डीग मु0 पूंछरी (डीग)